| | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | **साधिकार प्रकाशित** | ***Published by Authority*** |
| | श्रावण 16, शुक्रवार, शाके 1942–अगस्त 7, 2020<br>*Sravana 16, Friday, Saka 1942–August 7, 2020* | |


भाग-6(ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

**नगरीय विकास विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, जुलाई 31, 2020**

**संख्या प.2(2)नविवि/बाडमेर/2020 :-**राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क की उप धारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम-2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नांकित सारणी के कालम संख्या 2 में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र के लिए उनके सम्मुख कालम संख्या 3 में वर्णित अधिकारियों को कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती है:-

| **क्र.सं.** | **स्थानीय प्राधिकारी का नाम**<br>**2** | **अधिकारी का पद नाम**<br>**3** |
|---|---|---|
| **1** | **नगर परिषद, बाडमेर** | **आयुक्त, नगर परिषद, बाडमेर** |

शेष नगरीय क्षेत्र में सचिव, नगर विकास न्यास, बाडमेर द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम-2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के तहत प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा।

त्रिभुवनपति,
**संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय।**


**786**
**Government Central Press, Jaipur.**